भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-80
सोमवार, 04 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

सुभेद्य रोजगार

80. श्री दिनेश त्रिवेदीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ''वर्ल्ड एंप्लायमेंट एण्ड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट 2018'' से अवगत है जिसमें बताया गया है कि लगभग 77% भारतीय कामगार सुभेद्य हैं;

(ख) क्या वर्ष 2019 तथा इनमें से लगभग 1.89 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि छात्रों और युवाओं में बेरोजगारी के बढ़ते स्तर के साथ ही मानसिक रूग्णता और आत्महत्या की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने बेरोजगारी की गंभीर समस्या का आकलन करने के लिए पारंपरिक मापदंडों के आधर पर कोई समग्र और यथार्थ सर्वेक्षण किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने 'विश्व रोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोण रूझान, 2018' नामक एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि भारत सहित दक्षिणी एशिया में असुरक्षित रोजगार की संख्या 2018 में 505.7 मिलियन से बढ़कर 2019 में 512.6 मिलियन हो जाने का अनुमान है तथा असुरक्षित रोजगार दर 2018 में 72% और 2019 में 71.9% होने का अनुमान है।

(ग एवं घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु 3 वर्षों के लिए ईपीएफ एवं ईपीएस के नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए अप्रैल, 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने हेतु 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए गतिशील, दक्ष एवं अनुक्रियाशील ढंग से योग्यता-अनुरूप रोजगार हेतु एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

(ङ): देश में रोजगार और बेरोजगारी का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2017-18 के दौरान सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण आरंभ किया है।

*****